"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 अगस्त 2003—श्रावण 20, शक 1925

वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (74).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 2 के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (62), दिनांक 30-6-2003 को 1-7-2003 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (74).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/51/2003/वाक/पांच (74), दिनांक 11-8-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 11th August 2003

NOTIFICATION

No. F-10/51/2003/CT/V (74).—In exercise of the powers conferred by clause (o) of Section 2 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby rescinds this department notification No. F-10/51/2003/CT/V (62), dated 30-6-2003 with effect from 1-7-2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.